छत्तीसगढ़

व्यवहार न्यायाधीश

मुख्य परीक्षा वर्ष - 2016

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक : 100**

निर्देश -

इस प्रश्न-पत्र में कुल तीन प्रश्न हैं। प्रश्न क्रंमाक 3 में दो अनुवाद हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्र॰ 1. निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक वादपत्र निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

आलोक जैन नामक एक व्यापारी ने दिनांक 1.1.2012 को रायपुर में सोहनलाल गुप्ता को 20,000/- रुपये का ऋण दिया। इसके बदले में सोहनलाग गुप्ता ने एक वचन - पत्र (प्रोनोट) निष्पादित किया। आलोक जैन रायपुर में रहता है तथा सोहनलाल गुप्ता बिलासपुर में रहता है। जब आलोक जैन ने दिनांक 1.10.2014 को एक पत्र लिखकर सोहनलाल गुप्ता से उक्त ऋण राशि की मांग की, तो सोहनलाल गुप्ता ने इसका उत्तर देते हुए आलोक जैन को आश्वासन दिया कि उक्त राशि उसे दो वर्ष के भीतर भुगतान कर दी जाएगी क्योंकि अभी वह अर्थिक तंगी में है। तत्पश्चात् आलोक जैन ने दिनांक 1.1.2016 को ऋण राशि की वसूली हेतू रायपुर के सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। सोहनलाल गुप्ता ने यह दलील (अभिवाक्) प्रस्तुत की, कि रायपुर न्यायालय को इस वाद का विनिश्चित करने को क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है। सोहनलाल गुप्ता ने अपना लिखित कथन फाइल करते हुए इस मुद्दे को भी उठाया कि वाद, संव्यवहार के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् फाइल किया गया है, इसलिए यह काल - अक्रोधित है। अपने लिखित-कथन में उसने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उसने कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है और उसने वचन-पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं।

प्र॰2 निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 11.6.2010 को श्री राजेन्द्र पटेल, जो अशोक पटेल नामक विद्यार्थी के पिता थे, द्वारा अपने पुत्र की कूटरचित मार्कशीट चिकित्सा महाविद्यालय में प्रस्तुत की गई ताकि उनके पुत्र को चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला मिल सके। इस मार्कशीट में दर्शाए गए कुल अंकों का योग उस संख्या से भी अधिक था जो किसी विद्यार्थी को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर योग-संख्या होती, जिसके कारण डॉ॰ डी॰ एस॰ तोमर की अध्यक्षता वाली प्रवेश-जांच समिति को उक्त मार्कशीट कूटरचित होने का संदेह हुआ। इसके अतिरिक्त, उक्त मार्कशीट जो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् जारी की गई अभिप्रेत थी, पर वही दिनांक तथा सील अंकित थी जैसी की मूल मार्कशीट पर थी। अतः डॉ॰ डी॰ एस॰ तोमर ने शंकर नगर पुलिस थाना, रायपुर में श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रकरण के अन्वेषण के दौरान आवश्यक जब्ती की गई तथा अन्वेषण पूर्ण होने पश्चात् पुलिस ने श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

बचाव पक्ष की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त ने स्वयं मार्कशीट की कूटरचना नहीं की थी और न उसे उक्त मार्कशीट कूटरचित होने के बारे में ज्ञात था । उसकी ओर से यह दलील भी प्रस्तुत की गई कि कथित कूटरचना (जालसाजी) वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं होने के कारण उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। https://www.pyqonline.com

प्र॰3 (अ) निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following Hindi passage into English. [10]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराध-रहित समाज की परिकल्पना करना पूर्णत: निरर्थक है क्योंकि जीवन की जटिलताओं, बढ़ते हुए भौतिकवाद और शीघ्रातिशीघ्र धन-सम्पन्न बनने की महत्वाकांक्षा जैसे कारको के फलस्वरूप जनसाधारण में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और वे निरंतर अपराध के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि कानून का भय भी उन्हें अपने इस कुत्सित मार्ग से डिगा नहीं पाता। हालांकि वास्तविकता यह है कि समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या

अत्यंत अल्प होती है जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं लेकिन इस नगण्य संख्या के बावजूद ये थोड़े से व्यक्ति ही देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाते हैं और देश की आपराधिक विधि का ध्यान इन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित व निवारित करने में लगा रहता है। तथापि ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत वर्ष मात्र में ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हो, बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि प्रायः विश्व के सभी देशों की आपराधिक विधि - का प्रमुख उद्देश्य केवल यही रहता है कि कानून का अतिलंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाए और विश्व में सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए प्रयास किये जाएँ ।